



**नौदणी प्रमाणपत्र**

संसाधन विभाग, १८८०

(१८८० का अधिनियम २१)

दिनांक २८/१२/२००७  
संसाधन विभाग ४ JAN 2008 / ३९

संसाधन विभाग के अधिनियम १८८० के अंतर्गत अधिनियमित किया गया-

नौदणी प्रमाणपत्र (अनुसूची) २५ का अंतर्गत, काठमांडू

पृष्ठ-१५ के अंतर्गत, ४०० का अंतर्गत अधिनियम, १८८० (सं १८८० का अधिनियम २१) के अंतर्गत

संसाधन विभाग के अधिनियम १८८० के अंतर्गत अधिनियमित किया गया।



दिनांक ४ JAN 2008 को जारी किया गया है।  
साथ में प्रमाणपत्र जारी किया गया है।  
साथ में प्रमाणपत्र जारी किया गया है।